कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी

KRISHI VIGYAN KENDRA, Bundi

प्रसार शिक्षा निदेशालय (कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)

DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION (AGRICULTURE UNIVERSITY, KOTA)

पी.ओ. बॉक्स–4, श्योपुरिया की बावड़ी, नैनवा रोड, बूंदी – 323001, (राज.)

P.O. Box-4, Shyopuria Ki Bawari, Nainwa Road, Bundi - 323001, (Raj.) India

F. ( )/KVK/BND/Tender/2026/20-26 Date: 08.04.2026

खुली निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केंद्र, बूंदी में वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य प्रसार गतिविधियों हेतु नाश्ता एवं भोजन आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों जिनके पास वैध दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, जी.एस.टी., भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का वैद्य अनुज्ञापत्र आदि का आवश्यक पंजीकरण हो, वे दिनांक 20.04.2026 दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत करें।

1. कार्य का नाम	भोजन व चाय नाते की व्यवस्था
2. कार्य की अनुमानित अवधि	वित्तीय वर्ष 2026–27
3. निविदा फार्म का मूल्य	500/– रूपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद
4. निविदा लागत (राशि)	अनुमानित लागत 4.98 लाख रू.
5. धरोहर राशि	अनुमानित लागत राशि का 5 प्रतिशत
6. कार्य की अनुमानित मात्रा	संस्थागत व असंस्थागत प्रशिक्षणों में भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु लगभग 4.90 लाख रू.
7. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	08.04.2026 से 20.04.2026 (कार्यालय समय)
8. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	20.04.2026 दोपहर 12:00 बजे तक
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	20.04.2026 को दोपहर 02.00 बजे
10. पत्राचार हेतु पता	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्योपुरिया की बावड़ी, बूंदी, राजस्थान

विस्तृत निविदा सूचना, निविदा की शर्तें व अन्य विवरण वेबसाईट राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in या विश्वविद्यालय वेबसाइट https://aukota.org पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को भेजकर लेख है कि नियत तिथि को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
2. श्रीमान निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को भेजकर लेख है कि नियत तिथि को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
3. नोडल अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संयोजक/सदस्य, क्रय समिति, कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी।
5. सूचना पट्ट, पंचायत समिति / कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी।
6. प्रभारी, लेखा/भण्डार, कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी – आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. गार्ड फाइल

08-04-2026

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

निविदा की शर्तें

1	निविदादाता के चयनित होने के पश्चात अनुमानित लागत राशि ₹4.98 लाख का 5 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में कार्यादेश जारी होने के 7 दिवस के भीतर जमा करवाना अनिवार्य होगा। यह राशि बैंक चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 'Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Bundi' के पक्ष में देय होगी।
2	यह दर संविदा अनुबंध पत्र के निष्पादन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक मान्य होगी।
3.	प्रस्तावित निविदा सीलबंद लिफाफे में, जिस पर **'भोजन एवं चाय–नाश्ते की व्यवस्था'** अंकित हो, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र, बूंदी को प्रेषित की जानी चाहिए।
4.	✓ सीलबंद एक लिफाफे में तकनीकी बोली हेतु निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं। इनके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के बाहर **"तकनीकी दस्तावेज"** अंकित किया जाए। 1. निविदादाता/फर्म का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण–पत्र की छायाप्रति। 2. जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या की प्रति। 3. निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित स्वीकृति। 4. पैन कार्ड की छायाप्रति। 5. बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा–पत्र (Declaration)। 6. अन्य आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई हो। ✓ सीलबंद दूसरे लिफाफे में वित्तीय बोली हेतु निविदादाता द्वारा भरा गया दर प्रपत्र (परिशिष्ट सं. 1) अनिवार्य रूप से पृथक रखा जाए। लिफाफे के बाहर **"वित्तीय दरें"** अंकित किया जाए। ✓ उपर्युक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद कर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए।
5.	निविदादाताओं द्वारा धरोहर राशि के एवज में अनुमानित लागत राशि का 5 प्रतिशत जमा करवाना होगा।
6.	अनुबंध अवधि के दौरान समय–समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्य, गोष्ठी व बैठक इत्यादि में आदेशानुसार उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों/व्यक्तियों हेतु भोजन, अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था की जानी है। जिसकी सूचना समय–समय पर दी जाती रहेगी।
7.	भोजन में शुद्ध एवं अच्छी किस्म की सामग्री (एग्मार्क) का प्रयोग करना होगा तथा तेल मूंगफली, सरसों (डबल रिफाईण्ड) का प्रयोग करना होगा।
8.	सब्जी ऋतु के अनुसार अलग–अलग प्रकार की व ताजा देनी होगी।
9.	भोजन तैयार करने एवं वितरण में साफ–सफाई का विषेष ध्यान रखना होगा।
10.	भोजन की व्यवस्था तथा तैयार भोजन की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
11.	भोजन/चाय तैयार करने हेतु समस्त सामग्री व श्रम शक्ति निविदिदाता की होगी।
12.	भोजन व्यवस्था/ केटरिंग हेतु बर्तन इत्यादि निविदादाता को स्वयं लाने होंगे। जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13.	भोजन वितरण कार्य स्वयं फर्म/ ठेकेदार द्वारा ही करवाना होगा।
14.	उपर्युक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार के देय भुगतान में से दंडस्वरूप कटौतियाँ की जाएंगी। इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र, बूंदी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।"
15.	निविदादाता के कार्य निष्पादन में असफल रहने की स्थिति में संबंधित कार्य उसकी जोखिम एवं व्यय (Risk - Cost) पर अन्य माध्यम से कराया जाएगा तथा उससे उत्पन्न व्यय की वसूली निविदादाता से की जाएगी। कार्य में विलंब होने की स्थिति में राशी की कटौती जीएफएण्डएआर 2012 एवं संशोधित नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।
16.	उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा कार्यालय के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित कार्य में असफल रहने की स्थिति में ठेकेदार/फर्म की जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संबंधित कार्य संस्था द्वारा ठेकेदार के जोखिम एवं व्यय (Risk and Cost) पर अन्य माध्यम से कराया जाएगा। यदि इस प्रक्रिया में अतिरिक्त व्यय होता है, तो उक्त राशि ठेकेदार/फर्म से वसूल की जाएगी।
17.	ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।
18.	भोजन की गुणवत्ता में गिरावट अथवा निर्धारित मेन्यू के अनुसार आपूर्ति नहीं होने संबंधी निरंतर शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति में धरोहर एवं अमानत राशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रधान के पास सुरक्षित रहेगा।
19.	उपायन एवं पारदर्शिता नियमों के अधीन समयावधि में वृद्धि की जा सकेगी।
20.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध फूड (FSSAI) लाइसेंस की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21.	कार्य का विभाजन नहीं किया जाएगा। विभिन्न कार्यों के लिए पृथक–पृथक निविदादाताओं/फर्मों से प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर, न्यूनतम दर का निर्धारण/आंकलन प्राप्त दरों के औसत के आधार पर किया जाएगा।
22.	सर्विस टैक्स /GST हेतु संबंधित विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है।
23.	आयकर कटौती मान्य दरों से संस्था प्रधान द्वारा ठेकेदार/फर्म के बिलों के भुगतान में से काट ली जावेगी।

24.	किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र बून्दी होगा।
25.	प्रस्तावित दर भरने से पूर्व भोजन मैन्यू ध्यानपूर्वक पढ़ ले किसी भी प्रकार की कांट–छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
26.	भोजन सप्लाई की समस्त व्यवस्था केन्द्र की कमेटी के दिशा निर्देशन में करनी होगी व उनके संतुष्ट होने पर ही भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जा सकता है।
27	खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाली फर्म के पास खाद्यान्न सप्लाई लाईसेन्स एवं आयकर विभाग का पैन नम्बर होना अनिवार्य है। फोटोप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
28.	भोजन प्रशिक्षण स्थल पर मीनू के अनुसार ताजा भोजन बनाकर खिलाना होगा।
29.	यदि भोजन की गुणवत्ता सम्बन्धी कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो निविदादाता को चेतावनी देकर भोजन की गुणवत्ता 24 घंटे में सुधारनें के लिये पाबंद किया जायेगा। इसके उपरान्त यदि भोजन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो 10 दिन का नोटिस देकर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, बून्दी इस ठेके को निरस्त कर सकेंगे।
30.	निविदादाता भोजन पकाने व परोसने हेतु आवश्यक संख्या में कर्मचारी नियुक्त करेगा तथा उनको शिष्टता का अनुसरण करना होगा साथ ही जहाँ आवश्यक हो तो केटरिंग की व्यवस्था भी करनी होगी जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा। भोजन खिलाते समय परोसने, जल आदि की व्यवस्था भी निविदादाता की होगी। केटरिंग कर्मचारियों के कपड़े साफ–सुथरे एवं नाखून व बाल कटे हुए होने चाहिए।
31.	भोजन बनाने एवं खिलाने, सफाई आदि समस्त सामग्री एवं कार्यो की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
32.	भोजन की निम्न गुणवत्ता के कारण यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।
33.	बिल का भुगतान कोषालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नहीं जावेगा।
34.	लागत के हिसाब से प्रतिदिन का मीनू बनाना होगा।
35.	दो दिवसीय/ तीन दिवसीय/पॉच दिवसीय प्रशिक्षणों में प्रतिदिन का मीनू अलग–अलग होगा।
36.	ठेके को किसी अन्य व्यक्ति के हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा
37.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को संचालन हेतु नहीं दिया जायेगा।
38.	भोजन आपूर्ति (भोजन बनाने) हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री (भगोना, परात, गैस, सिलेण्डर इत्यादि) केन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। उक्त सामग्री की व्यवस्था स्वंय ठेकेदार को ही करनी होगी।
39.	भोजन केन्द्र के किसान घर में बनाना होगा। खाना खिलाने के लिये पत्तल, दोने, गिलास, पानी, बिछाने की दरी पट्टी इत्यादि की व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी। खाना खिलाने के पश्चात् सफाई की व्यवस्था भी पार्टी निविदादाता को करनी होगी। कई बार केन्द्र से बाहर भी कार्यक्रम आयोजित किये जाते है जिसमें बूंदी जिले मे कहीं भी कार्यक्रम होने पर निविदानुसार भोजन व नाश्ता आदि की व्यवस्था निर्धारित स्थान पर करने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।
40.	कार्य की मात्रा/लागत सिर्फ अनुमानित है इसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिसमें निविदादाता को किसी प्रकार विवरण नहीं दिया जावेगा तथा कार्यालय की शर्तो के अनुरूप कार्य करना होगा।
41.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति में अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
42.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
43.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
44.	मैं निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।
45.	सफल निविदादाता को 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व स्वच्छ एवं ताजा भोजन बनाकर देने व कार्यरत श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मैं .... उक्त शर्तो के अधीन रहते हुए भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार मय
मोहर

परिशिष्ठ संख्या – 1

निविदादाता द्वारा संस्थागत व असस्थांगत प्रशिक्षणों में सप्लाई किये जाने वाले भोजन का विवरण एवं मेन्यू के अनुसार दरों का विवरण वर्ष 2026–27

क्र. सं	कार्य का विवरण	निविदादाता द्वारा दी गयी दरें (समस्त करों सहित)
1.	चाय	
2	पैकिट नाश्ता (बिस्कुट 100 ग्राम व नमकीन 50 ग्राम)	
3	साधारण नाश्ता पैकेट – समोसा /कचौडी/पौहा + एक पीस मिठाई (70 ग्राम) + एक केला	
4	स्पेशल नाश्ता पैकेट – समोसा /कचौडी + दो पीस मिठाई + एक केला + नमकीन मिक्सर / चिप्स	
5	साधारण भोजन पैकेट– एक सूखी सब्जी (मिक्स)+ पूडी/रोटी 08 नग +1 पीस मिठाई +अचार	
6	साधारण खाना – भरपेट पूडी/ रोटी + सूखी सब्जी +दाल + रायता + एक मिठाई	
7	स्पेशल खाना – पूडी/ रोटी (चुपड़ी हुई) + मटर पनीर की सब्जी + मौसमी सब्जी + दाल + चावल + रायता + एक मिठाई + सलाद + आईसक्रीम	
8	दाल + कत्त बाटी (बाफला) + लड्डू (देशी घी) + कड़ी/बेसन गट्टा + चावल + सलाद + बूंदी रायता + पापड़	
9	मिनरल वाटर बोतल 200 मिलीलीटर	
	मिनरल वाटर बोतल 01 लीटर	

मैं निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर व मोहर

मय पता

व मोबाईल नं0 सहित

स्वघोषणा पत्र

मैं, मैसर्स श्री .... का प्रोपराइटर, शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि भोजन एवं चाय–नाश्ते की व्यवस्था हेतु मैंने/हमने केवीके, बूंदी की निविदा प्रस्तुत की है। मुझे/हमें आज दिनांक .... तक किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूची (Blacklisted) में शामिल नहीं किया गया है। उपर्युक्त तथ्य मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। यदि यह किसी भी स्तर पर असत्य पाया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी तथा मैं/हम नियमानुसार कार्यवाही हेतु बाध्य रहूँगा/रहेंगे।

ठेकेदार के हस्ताक्षर व मोहर